



**छत्रपति शाहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर**  
**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**

कल्यानपुर, कानपुर-208024  
Kalyanpur, Kanpur-208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./५२९०/2018

दिनांक : ३०/८/2018

**सम्बद्धता-आदेश**

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुसंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 30.8.2018) से हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मऊ, अटारिया, सीतापुर को बी०एस-सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम (60 छात्र) में स्वतंत्रतापूर्वक योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2017 से पाठ्यक्रम अवधि तक (04 वर्ष) निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में उल्लिखित समस्त कमियों (संस्था-प्राप्त धनराशि संलग्न नहीं है, शपथपत्र संलग्न नहीं है, अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है) को 30 जून, 2018 को पूर्ण कर लेना अन्वया अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेनी तथा पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल/स्टेट मेडिकल फेकल्टी व शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/महानिदेशक, शिक्षा शाखा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ एवं सचिव मेडिकल फेकल्टी को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिजल्टों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत प्राक्खान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं वेतन के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. संस्था द्वारा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ से प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम विस्तारण की अनुमति/मान्यता प्राप्त कर ही प्रवेश लिये जायें अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं लिये जायेंगे। इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ की अनुमति/मान्यता का पत्र प्रत्येक वर्ष संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ द्वारा यदि उक्त अनुमति/मान्यता में कोई परिवर्तन किया जाता है या अनुमति वापस ली जाती है तो उस स्थिति में संस्थान, तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। संस्था इण्डियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली/उ०प्र० स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ की अनुमति/मान्यता की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके द्वारा निर्धारित नियमों तथा उनके निर्देशों तथा अनुमति/मान्यता पत्र की शर्तों का भी समय से अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अदालतकार्यालय।
2. सचिव, भारतीय उपाचर्या परिषद, आठवां तल, ए०बी०सी०से० सेंटर, प्लॉट नं०-2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला फेस-1, नई दिल्ली।
3. महानिदेशक, शिक्षा शाखा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सचिव, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फेकल्टी, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6. निदेशक/सचिव, हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मऊ, अटारिया, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय के कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेंटर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
10. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
11. कुलसचिव कार्यालय।
12. सम्बन्धित पत्रावली।
13. गार्ड फाइल।
14. डिस्पेंचर प्रतिलिपि।

कुलसचिव

# U.P. NURSES AND MIDWIVES COUNCIL

5, Sarvapally, Mall Avenue Road, Lucknow-226 001  
Phone : 0522-2238846, 2236600 Fax : 0522-2237800



Ref. No. 1840/16


Date 19/2/2016

## CERTIFICATE OF CONSENT

This is hereby certified that the application of **Hind Institute of Medical Institute**, Mau, Ataria, Sitapur for the starting of **B.Sc. Nursing (Nursing Programme)** 04.08.2015 has been received in this Council.

The issue of certificate of consent alone shall not confer any right on the applicant college to start the **B.Sc. Nursing (Nursing Programme)**.

This certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

  
**Registrar**  
U.P. Nurses & Midwives Council  
Lucknow

# U.P. NURSES AND MIDWIVES COUNCIL

5, Sarvapally, Mall Avenue Road, Lucknow-226 001  
Phone : 0522-2238846, 2236600 Fax : 0522-2237800



Ref. No. ....

10548/13

Date .....

27/12/13

## CERTIFICATE OF CONSENT

This is hereby certified that the application of **Hind Hospital, Mau Ataria, Sitapur** for the starting of **General Nursing & Midwifery (Programme)** 22-11-2013 has been received in this Council.

The issue of certificate of consent alone shall not confer any right on the applicant college to start the Diploma in **General Nursing & Midwifery (Nursing Programme)** G.N.M. Programme.

This certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Registrar

U.P. Nurses & Midwives Council  
Lucknow

# भारतीय उपचयो पारषद्

आठवौं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी  
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



# INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre  
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय  
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

File No. 1-6/02/Jul 2017-INC

Dated:- 27-07-2017

To

1. The Principal Secretary,  
Deptt. Of Health, Medical & F. W.,  
Govt. Of Uttar Pradesh, Lucknow-  
226001. Uttar Pradesh.

2. The Registrar,  
Uttar Pradesh Nurses & Midwives  
Council 5-Servapalli, Mall Avenue  
Road Lucknow- 226001 Uttar  
Pradesh.

Subject: Establishment of Hind School Of Nursing , Hind Institute Of Medical  
Sciences Mau Ataria, Taluk - Sidhuli Sitapur 261001 -reg .

Sir/Madam,

The Indian Nursing Council conducted inspection by physical verification of the above  
said institution for recognition of following programmes.

School Code	Program Name	Date Of Inspection	Status	Seats
3101242	ANM	12-13 Jun 2017	Permitted	40 (Forty)
3102312	GNM	12-13 Jun 2017	Permitted	40 (Forty)
3103101	B. Sc (N)	12-13 Jun 2017	Permitted	60 (Sixty)

The above is permitted for academic 2017-2018 year with the above given seats subject  
to the condition:-

- Approval of State Nursing Council & Board/University.
- Institution should submit online document with respect to renewal from next year as per the calendar of events.
- Physical facilities, clinical facilities, Nursing Teaching staff and other regulation as

नर्सिंग शिक्षा के समान स्तर को प्राप्त करने का प्रयास  
Striving to achieve uniform standards of Nursing Education

Website: [www.indiannursingcouncil.org](http://www.indiannursingcouncil.org) E-mail: [secy.inc@gov.in](mailto:secy.inc@gov.in)  
Phone: 011-26819157, 26819159, 26819160

# U.P. NURSES AND MIDWIVES COUNCIL

5, Sarvapally, Mall Avenue Road, Lucknow-226 001  
Phone : 0522-2238846, 2236600 Fax : 0522-2237800



Ref. No. ....13/28/15

Date .....10/12/15

## CERTIFICATE OF CONSENT

This is hereby certified that the application of **Hind College & School of Nursing, Mau, Ataria, Sitapur**, for the starting of **Health Worker (F) (Nursing Programme)** 15.07.2015 has been received in this Council.

The issue of certificate of consent alone shall not confer any right on the applicant college to start the **Health Worker (F) (Nursing Programme)**.

This certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Registrar  
U.P. Nurses & Midwives Council  
Lucknow

PRINCIPAL  
HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
MAU, ATARIA, SITAPUR

# U.P. NURSES AND MIDWIVES COUNCIL

5, Sarvapally, Mall Avenue Road, Lucknow-226 001  
Phone : 0522-2238846, 2236600 Fax : 0522-2237800



Ref. No. ....13/26/15

Date .....10/12/15

## CERTIFICATE OF CONSENT

This is hereby certified that the application of **Hind College & School of Nursing, Mau, Ataria, Sitapur**, for the starting of **Health Worker (F) (Nursing Programme)** 15.07.2015 has been received in this Council.

The issue of certificate of consent alone shall not confer any right on the applicant college to start the **Health Worker (F) (Nursing Programme)**.

This certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Registrar  
U.P. Nurses & Midwives Council  
Lucknow

PRINCIPAL  
HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
MAU, ATARIA, SITAPUR